न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 2021 / 532

–: प्रार्थी :–

1. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. जोगाराम पुत्र मंगनाराम
2. उम्मेदराम पुत्र लिखमाराम
3. परसाराम पुत्र टिकुराम
4. मंगनाराम पुत्र डुंगरराम
5. सुखाराम पुत्र टिकुराम
6. सायरी पत्नि मोडाराम
7. तेजाराम पुत्र हुक्माराम
8. सम्पतराम पुत्र उगमाराम
9. हरदीनराम पुत्र मोडाराम

जाति मेघवाल निवासी बासनी हरिसिंह

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. सरकारी पैराकार उपस्थित
2. अप्रार्थीगण सं. 01 से 09 स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः–24 / 11 / 2021**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 01.11.2021 को पेश किया गया था। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि तहसील भोपालगढ़ के राजस्व ग्राम बासनी हरिसिंह में खसरा नं. 49 / 1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म जमीन बारानी द्वितीय कृषि भूमि जोगाराम पुत्र मंगनाराम जाति मेघवाल निवासी बासनी हरिसिंह, खसरा नं. 49 / 5 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि उम्मेदराम पुत्र लिखमाराम, परसाराम पुत्र टिकुराम, मंगनाराम पुत्र डुंगरराम, सुखाराम पुत्र टिकुराम जाति मेघवाल निवासी बासनी हरिसिंह, खसरा नं. 49 / 6 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि सायरी पत्नि मोडाराम जाति मेघवाल निवासी बासनी हरिसिंह, खसरा नं. 49 / 7 रकबा 0.2104 किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि तेजाराम पुत्र हुक्माराम जाति मेघवाल निवासी बासनी हरिसिंह, खसरा नं. 49 / 9 रकबा 0.7042 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि सम्पतराम पुत्र उगमाराम, हरदीनराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी बासनी हरिसिंह तहसील भोपालगढ़ के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण कृषि प्रयोजनार्थ बतौर खातेदार काबिज है।

2. यह हैं कि अप्रार्थीगण को उपर्युक्त भूमि पर केवल खातेदार अधिकार प्राप्त है जिसके अन्तर्गत खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करने, कृषि उपज एवं प्राकृतिक पैदावार प्राप्त करने का अधिकार होता है। परन्तु अप्रार्थीगण खातेदारान ने खातेदारी शर्तों को भंग कर कृषि भूमि खसरा नं. 49 / 1, 49 / 5, 49 / 6, 49 / 7, 49 / 9 के सम्पूर्ण रकबा में अवैध रूप से मकान बना रखे हैं। अप्रार्थीगण [illegible] कृषि भूमि पर मकान बनाकर कृषि भूमि नष्ट–भ्रष्ट कर रहा है।

अप्रार्थीगण कृषि भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर कृषि भूमि [illegible] कर रहे है तथा अप्रार्थीगण खातेदार के इस कृत्य से काबिल कृषि भूमि नष्ट होने की कगार [illegible] जाएगी।

पटवारी रिपोर्ट एवं मौके पर्चे दिनांक 14.10.2021 के अनुसार ग्राम बासनी हरिसिंह के खसरा नं. 49 / 1, 49 / 5, 49 / 6, 49 / 7, 49 / 9 रकबा क्रमशः 0.1619 है0, 0.1619 [illegible] 0.2023 है0, 0.2104 है0, 0.7042 है0 किस्म बारानी द्वितीय का मौका रूबरू मौतबिरान के देखा गया। उक्त खसरा ग्राम

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:32:54 IST
Reason: SelfAttested

बासनी हरिसिंह की मूल आबादी भूमि के चिपता हुआ है एवं मौके पर लगभग 17–18 परिवारों के मकान बने हुए है। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्र में उक्त आराजियात ग्राम बासनी हरिसिंह के खसरा नं. 49/1, 49/5, 49/6, 49/7, 49/9 रकबा क्रमशः 0.1619 है0, 0.1619 है0, 0.2023 है0, 0.2104 है0, 0.7042 है0 पर कृषि कार्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भूमि पर मकान बनाकर उपयोग किया जा रहा है, साथ ही खातेदारों की बेदखली करने के साथ भूमि को रकबा राज घोषित करने की अनुशंसा की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार भोपालगढ़ ने निवेदन किया। प्रार्थनापत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है:–

1. नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थनापत्र की अतिरिक्त प्रतियां।

उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक 01.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गये। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बासनी हरिसिंह में पेश हुई। अप्रार्थीगण सं. 01 से 09 स्वयं उपस्थित हुये जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थीगण सं. 01 से 09 की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बासनी हरिसिंह के खसरा नं. 49/1, 49/5, 49/6, 49/7, 49/9 रकबा क्रमशः 0.1619 है0, 0.1619 है0, 0.2023 है0, 0.2104 है0, 0.7042 है0 कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण के पिछले 15–20 वर्षो से मकान बने हुए है तथा सम्पूर्ण भूमि का कृषि कार्य हेतु कुछ भी हिस्सा रिक्त नही है तथा उपरोक्त भूमि को आबादी भूमि दर्ज करवाने की कृपा करे। अतः अप्रार्थीगण द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति में पत्रावली निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है।

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन हुआ था, उससे असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नही किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है।

खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ आवंटित सम्पूर्ण भूमि का उपयोग अवैध रूप से मकान बनाकर रहने हेतु किया गया है। उक्त कार्य किसी भी प्रकार से अथवा दशा में कृषि (काश्तकारी) के लिये हितकर नही है। उक्त कार्य लम्बी समयावधि से किया जा रहा है, जो कृषि जोत हेतु योग्य भूमि के लिये अहितकर है। तहसीलदार भोपालगढ़ व पटवारी रिपोर्ट व मौका फर्द के अनुसार ग्राम बासनी हरिसिंह के खसरा नं. 49/1, 49/5, 49/6, 49/7, 49/9 रकबा क्रमशः 0.1619 है0, 0.1619 है0, 0.2023 है0, 0.2104 है0, 0.7042 है0 कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण के मकान बने हुए है।

अतः ग्राम बासनी हरिसिंह के खसरा नं. 49/1, 49/5, 49/6, 49/7, 49/9 रकबा क्रमशः 0.1619 है0, 0.1619 है0, 0.2023 है0, 0.2104 है0, 0.7042 है0 कृषि भूमि को रकबा राज घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खातेदारान का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन(खातेदारी) को राजस्व रिकॉर्ड में रकबा राज अंकित किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट 10 (दस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर

निर्णय आज दिनॉक 24.11.2021 को मजमें आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:32:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर**
बईजलास :–**श्री हवाई सिंह यादव ,आर0ए0एस0**

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. जोगाराम पुत्र मंगनाराम
		2. उम्मेदराम पुत्र लिखमाराम
		3. परसाराम पुत्र टिकुराम
		4. मंगनाराम पुत्र डुंगरराम
		5. सुखाराम पुत्र टिकुराम
		6. सायरी पत्नि मोडाराम
		7. तेजाराम पुत्र हुक्माराम
		8. सम्पतराम पुत्र उगमाराम
		9. हरदीनराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी बासनी हरिसिंह

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 मु0न0 :रा0प्रा0 स0: 2021/532
रिजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन हुआ था, उससे असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नही किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है। डिक्री दी जाती है कि ग्राम बासनी हरिसिंह के खसरा नं. 49/1, 49/5, 49/6, 49/7, 49/9 रकबा क्रमशः 0.1619 है0, 0.1619 है0, 0.2023 है0, 0.2104 है0, 0.7042 है0 कृषि भूमि को रकबा राज घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खातेदारान का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन(खातेदारी) को राजस्व रिकॉर्ड में रकबा राज अंकित किया जावे। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में डिक्री आज दिनांक 24.11.2021 को जारी की गई।

मोहर

24.11.21
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मिजानः–			मिजानः–		

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:32:54 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

24.11.21
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)